04.06.2018

पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान– 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प–जोरावर नगर के अटल सेवा केन्द्र में पेश हुई। प्रकरण में उपस्थित भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का जोरावर नगर से मौका स्थिति की रिपोर्ट ली गई। वरवक्त न्याय आपके द्वार कैम्प में ही ग्राम जोरावरनगर के भूमि खसरा नम्बर 498/2 रकबा 0.0262 हैक्टर व 499/2 रकबा 0.5594 हैक्टर का मौका पटवारी हल्का जोरावर नगर व भू अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर के द्वारा देखा गया। जिस पर मौके पर भूमि खसरा नम्बर 499/2 में पॉवर ग्रिड का बड़ा विधुत पोल बना हुआ है एंव उक्त पोल के उपर से विधुत तार खींचे हुये है। मौके पर विधुत लाईन चालू है। जिसमें विधुत प्रवाह जारी होने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 498/2 व 499/2 तन् ग्राम जोरावर नगर तहसील श्रीमाधोपुर के 2/3 हिस्से की खातेदारी वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें प्रतिवादी न. 2 का हिस्सा

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

भीवाराम वगैरा भीवाराम बनाम् मैनेजिंग डायरेक्टर पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ
दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं0 307/2014

1/6 एवं प्रतिवादी न. 3 ता 7 का हिस्सा 1/6 के खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी न. 1 के द्वारा सिंगल सर्किट जयपुर से भिवाड़ी लाईन का निर्माण किया जा रहा है। जिसके क्रम में कनोता रेलवे स्टेशन गेट न. 91 जोरावरनगर के पास विधुत लाईन खिंची जा रही है जिसके लिए पिल्लर गाडे जा रहे है। लाईन निर्माण किया जा रहा है। वादी व सहखातेदारान् की भूमि भी इसी जगह पर स्थित है। प्रतिवादी न.1 के द्वारा वादी की खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नम्बर 498/2, 499/2 में पोल गाडकर अवैध कब्जा किया जा रहा है एंव पोलों के उपर विधुत तार खिचनें पर आमादा होने से वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। वादी ने वादी व प्रतिवादी नम्बर 2 ता 6 की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 498/2, 499/2 कुल किता 2 कुल रकबा 0.5856 हैक्टर में वादी के 2/3 हिस्से में बिना विधिक बंटवारें के किसी प्रकार से प्रतिवादी न. 1 द्वारा गाडे गये पोल पर विधुत लाईन नहीं खींचने बाबत प्रतिवादी न. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन वादी द्वारा किया गया है।

हमने वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व वादपत्र पर उपलब्ध समस्त राजस्व रिकार्ड व दस्तावेजात् का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में विधुत पोल गाडने एंव इसके नीचे फाउंडेशन बनाने का कार्य स्वीकार करते हुए उक्त विधुत पोल पर विधुत लाईन खिचनें पर आमादा होने पर वादी द्वारा स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया गया है। जिसके सम्बन्ध में दौराने राजस्व लोक अदालत के कैम्प जोरावरनगर में ही भू अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को मौके पर भेजकर रिपोर्ट ली जाने पर ज्ञात हुआ कि मौके पर भूमि खसरा नम्बर 499/2 में पॉवर ग्रिड का बडा विधुत पोल बना हुआ है एंव उक्त पोल के उपर से विधुत तार खींचे हुये है। मौके पर विधुत

Scanned by CamScanner

लाईन चालू है। जिसमें विधुत प्रवाह जारी होने बाबत रिपोर्ट प्राप्त हुई है। वादी द्वारा अपने अनुतोष में वादी के 2/3 हिस्से में बिना विधिक बंटवारें के किसी प्रकार से प्रतिवादी नं. 1 द्वारा गाडे गये पोल पर विधुत लाईन नहीं खींचने एंव ना दीगर से खिंचवाने बाबत निवेदन किया गया है जबकि वादी द्वारा बंटवारें का कोई वाद पेश नहीं किया गया है एंव ना ही बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है। वादी द्वारा केवल मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का वादपत्र पेश किया गया है।

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा वादी व प्रतिवादी न. 2 ता 6 की शामलाती भूमि खसरा नम्बर 498/2 व 499/2 में वादी के 2/3 हिस्से में गाड़े गये पोल पर विधुत लाईन नहीं खींचने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी न. 1 को पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया है जबकि पटवारी हल्का व भू अभिलेख निरीक्षक जोरावरनगर की रिपोर्ट के मुताबिक भूमि खसरा नम्बर 499/2 में पॉवर ग्रिड का बड़ा विधुत पोल बना हुआ है एंव उक्त पोल के उपर से विधुत तार खींचे हुये है। मौके पर विधुत लाईन चालू है। जिसमें विधुत प्रवाह जारी हो चूका है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर वादपत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत आयोजित राजस्व लोक अदालत के कैम्प– जोरावर नगर के मजमे–ए–आम में सुनाया गया।

(ब्रहम लाल जाट)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)
कैम्पः–जोरावर नगर

Scanned by CamScanner